न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 88/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/130

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. बसन्तलाल पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुनीया 2. सुरेश पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुनीया 3. रमेश पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुनीया जातिगण घांची निवासीगण खौड़ तहसील रानी जिला पाली		1. दाकु पत्नी वेनाराम जाति घांची निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खौड़ जरिये सरपंच तहसील रानी

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/01/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 47/2012–13 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का मालिकाना, भूखण्ड ग्राम खौड़ में बस स्टेण्ड के पास दादावाडी क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में प्रार्थीगण के दादाजी धन्नाजी का मालिकाना हक था। धन्नाजी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड सहित सभी अचल सम्पत्तियों का पारिवारिक सेटलमेन्ट अपने चारों पुत्रों के पक्ष में दिनांक 28.05.1967 को गवाहान के रूबरू एक रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया और जैर निगरानी आराजी प्रार्थीगण के पिताजी के पक्ष में रखी गई, जिस पर निरन्तर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा था तथा उनका स्वर्गवास वर्ष 2004 में होने के पश्चात् प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा व आधिपत्य है। उक्त सेटलमेन्ट में अप्रार्थी संख्या 1 के पति को बावरियों के बास में स्थित नोहरा दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त पारिवारिक सेटलमेन्ट की सम्पूर्ण जानकारी थी उसके उपरान्त भी स्वयं के वार्डपंच होने का फायदा उठाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में न तो पड़ौस अंकित है और न ही नाप दर्ज है। मिसल की आदेशिका दिनांक 06.11.2012 के अनुसार मिसल दर्ज की गई जबकि प्रकरण में शपथ पत्र दिनांक 07.11.2012 को पेश किया गया। भूमि का मौका निरीक्षण स्वयं की उपस्थिति में किया गया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार किसी जगह चस्पा किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

गया, स्पष्ट नहीं है। उक्त भूखण्ड मौके पर खाली है, जबकि प्रश्नगत पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया जिस हेतु मौके पर पुराना मकान होना अनिवार्य है। जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया इसलिये मूल पट्टा बूक से प्रश्नगत पट्टा गायब कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं वार्डपचं थी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग लिया है जो कि पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत ने नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNT (Raj.) 570, 2012(2) RRT 1265, 2017(2) DNJ 730] 2017(2) DNJ 668 पेंश कर विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 47/2012–13 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी संख्या 1 तत्समय ग्राम पंचायत में वार्डपंच के पद पर निर्वाचित थी तथा उन्होनें पद पर रहते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रश्नगत पट्टे की सम्पूर्ण बैठक में उपस्थित सदस्यों के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 दाखुदेवी का नाम अंकित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 उस समय ग्राम पंचायत की सदस्य थी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत की सदस्य रहते हुये अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 48(3) के अनुसार किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसा प्रश्न है, जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये, तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा नियम 48(4) के अनुसार यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का यह विश्वास हो कि चर्चा के अधीन के किसी भी मामले में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित है और यदि उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLR 2004(1) 237 Manoj kumar vs state of raj & ors. अनुसार Constitution of India, Art. 14-Raj. Panchayat (General) Rules, 1961, R.266-Plots in abadi land were allotted by the Gram panchayat to Up-Sarpanch and his close relatives including appellant (son of Up-Sarpanch) by private negotiations and not by recourse to auction-Held, action of Panchayat was arbitrary and denial of equality-Contention of appellant that there cannot be challenge to patta after 10 years, held, not acceptable since it is a case of gross violation of the rules. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 136 Sampat lal Sethia vs state of Rajasthan & Ors. अनुसार प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों को भूमि आंवटित की–सुसंगत समय पर वह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

उपसरपंच था–कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार की एवं आवंटन निरस्त किया–पुराने कब्जे का सबूत नहीं–प्रार्थी का युक्तियुक्त दावा नहीं–नियम 266 के उल्लंघन में आवंटन किया–पंचायत ने अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया–कलेक्टर ने अवैधता को सही किया–आदेश उचित एवं न्यायसंगत है एवं पुष्टि की। उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंचायत की बैठक में यदि किसी विषय से सम्बन्धित किसी पंच का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी धन सम्बन्धी अथवा व्यक्गित हित हो, तो वह पंच उस विषय पर होने वाली कार्यवाही अथवा निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता। उक्त सिद्धान्त का उद्देश्य पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है, जिससे स्वार्थ–संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। हस्तगत प्रकरण में उपलबध अभिलेखों से यह तथ्य सामने आया है कि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि सम्बन्धित अवधि में स्वयं ग्राम पंचायत की वार्ड पंच थी, ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में व्यक्गित रूप से उपस्थित होकर अपने ही पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। उक्त पट्टा निर्गमन की कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 1 की प्रत्यक्ष रूचि एवं प्रत्यक्ष लाभ निहित था। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने धन सम्बन्धी एवं व्यक्गित हित से जुड़े विषय में स्वयं पंचायत सदस्य रहते हुए निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना तथा उसका लाभ प्राप्त करना, राजस्थान पंचायती राज नियमों तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पारिवारिक सेटमेन्ट मे प्रार्थीगण के पक्ष में आयी थी, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि धन्ना वल्द मूलाजी द्वारा एक रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 28.05.1967 निष्पादित पारिवारिक सेटलमेन्ट के अनुसार धन्नाजी द्वारा अपनी सम्पूर्ण आराजी अपने चारों पुत्रों के हिस्सों में बांटी गई, साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने भी ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जैर आराजी पुश्तैनी अंकित किया है, इसी अनुरूप में मिसल दर्ज की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है अर्थात् प्रकरण में यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 157(1) के तहत केवल खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जैर निगरानी आराजी के फोटोग्राफ्स पेश किये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने आवेदन में पुश्तैनी मकान का कथन किया और उसी अनुसार मिसल में भी पुश्तैनी मकान के तथ्य अंकित है लेकिन मौका निरीक्षण रिपोर्ट में कही पर भी पुराने मकान के तथ्य अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौके पर सम्पूर्ण आराजी खाली है जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है अर्थात् मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा खाली भूखण्ड का नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157– पट्टा रद्द किया– क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की– 534.41 वर्ग गज के सम्बन्ध में 200/– रूपये के लिये जारी किया–मौके पर केवल 10 X 8 का कमरा अस्तित्व में था– नियमों के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है– प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के दो जी.एल.आर. स्थापित थे– रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व्यथित व्यक्ति है– निर्णीत, याचिका में सार नहीं है व खारिज की। न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार Rule 157 permits regularisation of old houses constructed over the abadi land of Gram panchayat and not the open plots. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNJ (Raj.) 570 Issack Khan vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector, Jaisalmer & Ors. के अनुसार Rule 157 of Rajasthan Panchayati Raj Rules not applied in case of vacant land. साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors. के अनुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Presence of old house at the spot is necessary for granting patt under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. उपरोक्त सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 157(1) के तहत खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया और न ही प्रस्तावित भूमि के पड़ौस अंकित किये जबकि पंचायत नियम 145 के अनुसार पंचायत से कोई भी आबाद भूमि खरीदने का इच्छुक काई व्यक्ति, पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो तथा आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा और यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो, तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा, जिसकी पालना हस्तगत मामलें में निश्चित रूप से नहीं की गई। परिणामस्वरूप, प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता कि पट्टा किस सटीक भूमि के सम्बन्ध में चाहा गया है। भूमि की पहचान, स्थिति एवं सीमाओं के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पक्ष एवं विधिसम्मत विचार किया जाना सम्भव नहीं है, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 06.11.2012, जो कि प्रथम आदेशिका थी, में अप्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना अंकित किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र भी साथ में पेश किया जाना दर्ज किया हुआ है अर्थात् शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र दोनों दिनांक 06.11.2012 को पेश किया गया जबकि शपथ पत्र का अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त शपथ पत्र दिनांक 07.11.2012 को नोटेरी किया हुआ है। जब प्रकरण में शपथ पत्र दिनांक 06.11.2012 को ही पेश किया ज़ा चुका है तो उक्त शपथ पत्र नोटेरी की दिनांक 07.11.2012 कैसे अंकित हो सकती है। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.11.2012 के द्वारा सचिव को भूमि का नक्शा बनाने एवं मौका निरीक्षण समिति को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional

अति. जिला कलेक्टर पाली

District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मिसल की प्रस्ताव संख्या 3 आदेशिका दिनांक 30.01.2013 में अंकितानुसार आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से दो गवाहों के बयान एवं मिसल में पट्टा बनाने वाले के शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये। उक्त आदेशिका में दर्शाए गए निर्देशों का परीक्षण करने हेतु जब ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया, तो यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.01.2013 को आयोजित बैठक के पश्चात् अगली बैठक दिनांक 31.01.2013 को आयोजित की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 30.01.2013 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक आयोजित ही नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.01.2013 को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 3 के अवलोकन से यह पाया गया कि उसमें प्रश्नगत मिसल संख्या 47 का कोई उल्लेख अथवा अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि आदेशिका दिनांक 30.01.2013 में दर्शाए गए निर्देश किसी विधिवत आयोजित पंचायत बैठक अथवा पारित प्रस्ताव पर आधारित नहीं है। प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेंड प्रारूप में है, जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किये गये है, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिये जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिंटेड प्रारूप में बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है तथा गवाहों के बयान कब लिये गये इस सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है, साथ ही प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उस पर न तो नोटिस जारी होने की दिनांक अंकित है और न ही डिस्पेच नम्बर। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल दो गवाहों के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न

अति. जिला कलेक्टर पाली

सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल में क्रम संख्या 6 की आदेशिका में अंकितानुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.02.2013 को 200/– रूपये की निर्धारित राशि जमा करवाए जाने पर उसे बुक संख्या 51 में पट्टा संख्या 36 जारी किया गया। उक्त प्रविष्टि के सम्बन्ध में जब ग्राम पंचायत की पट्टा बुक संख्या 51 का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि उक्त बुक में पट्टा संख्या 31 के पश्चात् अगला पट्टा सीधे ही पट्टा संख्या 40 दर्ज है तथा इनके मध्य के पट्टे, पट्टा बुक में उपलब्ध नहीं है और पट्टा बुक के भौतिक निरीक्षण से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अनुपलब्ध पट्टा, पट्टा बुक से फाड़े अथवा हटाए गए है और प्रश्नंगत पट्टा संख्या 36 भी इन्हीं अनुपलब्ध पट्टों के मध्य आता है। अतः प्रकरण में यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि उक्त पट्टा कूटरचित एवं अनियमित तरीके से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 47/2012–13 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति कें साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली